अध्याय-1
सामान्य परिचय

- स्वतन्त्रता पश्चात् पंचायती राज व्यवस्था का सूत्रपात एवं विकास
- पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जे की प्राप्ति
- नगरीय निकायों की स्थापना के सोपान
- नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जे की प्राप्ति
- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन
- राज्य वित्त आयोग की कार्यपद्धति
- राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन का स्वरूप

1.1 ग्राम पंचायत–स्वशासन की उत्तरदायी और सर्वजन सहभागिता की प्राचीनतम, आत्मचेतस भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण का राजवंशीय शासन प्रणाली के कालखंड़ों में क्रमशः संकुचन होता गया, और दीर्घकालीन ब्रिटिश औपनिवेशिक दासता के कालखंड में यह प्रतीकात्मक तौर पर ही खुद को बचा सकी परन्तु इसका वास्तविक मूल्य नष्ट किया जा चुका था।

1.2 "भारत की हर चीज मुझे आकर्षित करती है। सर्वोच्च आकांक्षायें रखने वाले किसी व्यक्ति को अपने विकास के लिए जो कुछ चाहिये, वह सब उसे भारत में मिल सकता है"। महात्मा गांधी द्वारा 1929 में कहा गया उपरोक्त वाक्य भारत के तत्कालीन दशा और भविष्य में उपलब्धियों की आकांक्षाओं के लिए राजनीतिक शासन प्रणाली और सामाजिक सत्ता संस्तरों को आत्ममूल्यॉंकन करने हेतु न सिर्फ प्रेरित करने वाला था, बल्कि बाध्य भी करता था, कि स्वतंत्रता की जिन महान मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए करोड़ों अकिंचन जनता ने आत्मोत्सर्ग किया, क्या उन आदर्शों को स्वतंत्र भारत पूरा कर पायेगा?

1.3 "मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूँगा, जिसमें गरीब से गरीब लोग भी यह महसूस करेंगे कि वह उनका देश है जिसके निर्माण में उनकी आवाज का महत्व है"– (महात्मा गांधी, 1931)। निश्चित रूप से भारत की आजादी के बाद उसके आदर्शों को प्राप्त करने के समक्ष बहुत बड़े–बड़े प्रश्न थे, इस हेतु राजनीतिक सत्ता का वास्तविक वितरण किया जाना अनिवार्य था ताकि भारत में "गरीबों का स्वराज स्थापित हो सके" तथा "सच्ची लोकशाही, नीचे से, हर एक गांव के लोगों द्वारा चलायी जा सके"।

1.4 जन जन को अधिकारपूर्ण राजनैतिक और आर्थिक सत्ता में भागीदारी के लिए यह आवश्यक था कि प्राचीनतम काल से भारत में ग्राम स्वशासन की ग्रामीण पंचायती राज प्रणाली को पुनर्जीवित किया जाये तथा इसे वास्तविक रूप से अधिकार संपन्न बनाया जाये।

1.5 छत्तीसगढ़, अपने ऐतिहासिक संदर्भ में ग्रामीण स्वशासन प्रणाली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐतिहासिक संदर्भों में प्राचीन छत्तीसगढ, के अधिकांश क्षेत्र छोटे–छोटे "आटविक गणराज्यों" के रूप में अस्तित्वमान थे। इन आटविक गणराज्यों के प्रमुख स्थानीय सरदार हुआ करते थे, जो ग्रामीण समुदाय के सामूहिकतापूर्ण राजनैतिक भागीदारी के माध्यम से अपने क्षेत्रों पर शासन करते थे, यद्यपि ये बड़े राजवंशों के करद क्षेत्राधीन भी थे। छत्तीसगढ़ आदिवासी जनसंख्या बहुल क्षेत्र रहा है, आदिवासी जनसमुदाय की सांस्कृतिक–राजनैतिक–न्यायिक तथा आर्थिक जीवन पद्धति में सामूहिकता तथा वैयक्तिक सक्रिय सहभागिता हमेशा से रही है, निश्चित रूप से ग्राम स्वशासन की वर्तमान राजनैतिक विचारधारा का बीजारोपण भी यही हुआ है।

स्वतन्त्रता पश्चात् पंचायती राज व्यवस्था का सूत्रपात एवं विकास

1.7 स्वतंत्रता के पश्चात् पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास किये जाते रहे। भारत के संविधान में भी अनुच्छेद 40 और 246 में पंचायतों एवं स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में उल्लेख है कि ''राज्य, ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की ईकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 246 के अंतर्गत 7वीं

अनुसूची में केन्द्र, राज्य एवं समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख किया गया है। संविधान में स्थानीय स्वशासन का विषय राज्य सूची में शामिल है।

1.8 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात, **'इटावा'**[1] परियोजना से प्रभावित होकर विकास की पहल के लिये दो कार्यक्रम प्रारंभ किये गये। पहला, 2 अक्टूबर, 1952 से 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' (Community Development Programme-CDP) प्रारंभ किया गया। इसमें ग्रामीण विकास की लगभग सभी गतिविधियाँ शामिल थीं जिन्हें लोगों की भागीदारी के साथ ग्राम पंचायतों की मदद से लागू किया जाना था।दूसरा,सन् 1953 में 'राष्ट्रीय विस्तार सेवा' (National Extension Service-NES) प्रारंभ किया गया।

1.9 सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा से उल्लेखनीय परिणाम नही मिले। कार्यक्रमों की विफलता के लिये अन्य कारणों के अलावा इन कार्यक्रमों को लागू करने में स्थानीय निकायों, विशेष रूप से ग्राम पंचायतों, की कम रूचि भी मुख्य कारण थी। परिणामस्वरूप 1957 में, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दोनों कार्यक्रमों के कामकाज को देखने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया किया। मेहता समिति द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के लिये ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन का सुझाव दिया गया और मेहता कमेटी की अनुशंसा को स्वीकार कर राज्यों द्वारा औपचारिक रूप से देश में पंचायती राज की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत 02 अक्टूबर 1959 को राजस्थान पंचायती राज की स्थापना करने वाला प्रथम राज्य बना।

1.10 चूँकि निर्देशक सिद्धांत केन्द्र एवं राज्यों के लिये बाध्यकारी नहीं हैं और स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची में शामिल किया गया है इसलिये पूरे देश में स्थानीय निकायों की एक समान संरचना का अभाव था और क्रियान्वयन का स्तर भी भिन्न–भिन्न था। कई राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के पास स्थानीय विकास के कार्यों को करने के लिये पर्याप्त शक्तियाँ नहीं थीं। वे वित्तीय सहायता के लिए राज्य और केंद्र सरकारों पर बहुत अधिक निर्भर थे। कई राज्यों ने निर्वाचित स्थानीय निकाय स्थापित करना आवश्यक नहीं समझा। कई राज्यों में, स्थानीय निकायों को भंग कर दिया गया और स्थानीय शासन को सरकारी अधिकारियों को सौंप दिया गया। कई राज्यों में स्थानीय निकायों में अप्रत्यक्ष चुनाव होते थे। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के बाद विभिन्न राज्यों द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने के बाद भी सामुदायिक विकास अथवा ग्रामीण विकास में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो सकी।

1.11 देश में पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने और मजबूत करने के उपायों पर सुझाव देने के लिए समय–समय पर भारत सरकार द्वारा विभिन्न समितियों का गठन किया गया। इसमें अशोक मेहता समिति 1977, जी. व्ही. के. राव समिति 1985 एवं एल. एम. सिंघवी समिति 1986 प्रमुख हैं।

1.12 1977 में गठित अशोक मेहता समिति द्वारा द्वि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई। इसमें जिला स्तर पर जिला परिषद और निचले स्तर पर कुछ गांवों को मिलाकर मण्डल पंचायत के गठन की अनुशंसा की गई थी। जी. वी. के. राव समिति ने "जिला" को नियोजन की मूल इकाई बनाने और नियमित चुनाव कराने की सिफारिश की थी। समिति के द्वारा जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन करने और उसे जिला परिषद का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाये जाने की भी अनुशंसा की गई थी।

[1]उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1948 में अमेरिका के अल्बर्ट मेयर के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के लिये इटावा जिले में प्रारंभ की गई परियोजना।

1.13 सन् 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के सुझाव के बाद एल. एम. सिंघवी समिति की अनुशंसा सबसे महत्वपूर्ण थी। समिति ने पंचायतों को मजबूत करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को अधिक वित्तीय संसाधन और उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। यह अनुशंसा मील का पत्थर साबित हुई।

पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जे की प्राप्ति

1.14 एल. एम. सिंघवी समिति की अनुशंसा 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन का आधार बनी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग–9 'पंचायत' अनुच्छेद 243 जोड़ा गया तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस प्रकार, संविधान में अनुच्छेद 243 (क से ण तक) प्रतिस्थापित कर त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। स्थानीय शासन राज्य का विषय है अतः संविधान के अनुच्छेद 243 (क से ण तक) प्रतिस्थापित कर राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना अनिवार्य की गई। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप देने का परिणाम यह हुआ है कि राज्यों के लिये त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना और उनका क्रियान्वयन बाध्यकारी हो गया। हालांकि, त्रि–स्तरीय पंचायती राज स्थापना के संवैधानिक प्रावधानों के वास्तविक क्रियान्वयन की दिशा में बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है।

नगरीय निकायों की स्थापना के सोपान

1.15 स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों के सदृश्य व्यवस्थाओं की भाँति नगरों हेतु नगरीय निकायों की व्यवस्थाओं का उल्लेख साहित्यों एवं प्राचीन ग्रंथों में किसी न किसी रूप में मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शहर को पुर कहा जाता था और इसका प्रमुख नागरिक कहलाता था।

1.16 मेगस्थनीज, जो चन्द्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में भारत आये थे, ने उल्लेख किया है कि बड़े शहरों में पांच–पांच सदस्यों की छह संस्थायें हुआ करती थीं और इनमें से प्रत्येक संस्था को मानवीय गतिविधियों के महत्वपूर्ण विषय सौंपे गए थे, जिसमें जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, विदेशियों की देखभाल और मनोरंजन आदि शामिल थे। मुगल साम्राज्य के दौरान, मध्यकाल में, कोतवाल मजिस्ट्रियल, पुलिस और वित्तीय मामलों की अपनी जिम्मेदारियों के अलावा कई नागरिक सुविधाओं संबंधी कार्यों का भी ध्यान रखते थे।

1.17 उपरोक्त संदर्भों में शहरों की उपस्थिति तथा नगर पालिका के सदृश्य व्यवस्था का उल्लेख तो मिलता है किन्तु यह व्यवस्था स्थानीय व्यक्तियों के हाथों में हो इसका उल्लेख नही मिलता है। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि उस समय की शहरी स्थानीय सरकार की संरचना, भूमिका और जिम्मेदारियाँ, नागरिकों के प्रतिनिधि निकाय में निहित नहीं थी, बल्कि शासकों द्वारा नियुक्त अधिकारियों में निहित थी।

1.18 भारत में आधुनिक नगरीय निकायों का इतिहास 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसीडेंसी शहर में पहले नगर निगम की स्थापना से प्रारंभ होता है। इसके बाद 1726 में तत्कालीन बॉम्बे और कलकत्ता में इसी तरह के नगर निगम बनाए गए। 1850 में, भारत सरकार द्वारा नगर सुधार अधिनियम पारित किया गया जिसने पार्षद प्रणाली स्थापित की और उन्हें संकुचित प्रशासनिक अधिकार दिए। 1882 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन, ने स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया, जिससे भारत में नगर पालिका शासन को पूर्व की तुलना में अधिक लोकतांत्रिक स्वरूप दिया गया था, तथापि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में नगरीय निकाय न तो

प्रतिनिधिक थीं, और न ही उनके पास वास्तविक शक्ति थी। 1935 में भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को राज्य या प्रांतीय सरकार के दायरे में लाया गया और स्थानीय स्वशासन के शक्तियों में विस्तार किया गया।

बॉक्स 1.1 : भाग 9, अनुच्छेद 243 (क से ण तक)

ग्राम सभा : यह कानून पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में ग्राम सभा का प्रावधान करता है। ग्राम सभा में ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गाँव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल रहते हैं। ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर विधान–मण्डल के सदृश्य शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

त्रि–स्तरीय व्यवस्था : प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जायेगा।

सदस्यों एवं अध्यक्ष का चुनाव : किसी भी पंचायत के सभी स्थान प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुये व्यक्तियों से भरे जायेंगे। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाये गये उपबन्धों तथा मध्यवर्ती एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जायेगा।

पंचायत निकायों की अवधि : प्रत्येक स्तर पर पंचायत का कार्यकाल पांच वर्षों का होगा। विघटन की स्थिति में, छह महीने के भीतर चुनाव अनिवार्य रूप से कराये जायेंगे।

पंचायतों के अधिकार एवं दायित्व : राज्य पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेंगे जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने मे समर्थ बनाने के लिये आवश्यक हों। ग्यारहवीं अनुसूची में सम्मिलित 29 विष ायों से संबंधित कार्य, कार्मिक एवं वित्त का पंचायतों द्वारा कार्यान्वित करना।

पंचायतों की कर लगाने की भाक्ति : राज्य, पंचायतों को कर एवं शुल्क अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान करेंगे।

वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन : पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिये प्रत्येक पांच वर्ष में राज्यों द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जायेगा।

नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जे की प्राप्ति

1.19 स्वतंत्रता के पश्चात् नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन हेतु नगरीय निकायों के गठन कि आवश्यकता महसूस की जा रही थी, यद्यपि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का उल्लेख तो है, किन्तु राज्य सूची की प्रविष्टि 5 में स्थानीय स्वशासन हेतु अंतर्निहित उल्लेख को छोड़कर नगर पालिकाओं हेतु कोई विशेष संदर्भ संविधान में नहीं है। राज्य सूची के प्रविष्टि 5, में स्थानीय स्वशासन के विषयों की जिम्मेदारी राज्यों को दी गई है।

1.20 शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक सामान्य ढांचा प्रदान करने और स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में निकायों के कामकाज को मजबूत करने के लिए, नगर पालिकाओं से संबंधित, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 लागू किया गया। 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं से संबंधित एक नया भाग 9 क संविधान में जोड़ा गया। भाग 9 क में अन्य बातों के अलावा, तीन प्रकार की नगर पालिकाओं – ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में संक्रमण वाले क्षेत्रों के लिए नगर पंचायतें, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम के गठन का प्रावधान है।

बॉक्स 1.2 : भाग 9क, नगर पालिका, अनुच्छेद 243(त से यक्ष तक)

गठन : प्रत्येक राज्य में तीन प्रकार की नगर पालिकाओं – ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में संक्रमण वाले क्षेत्रों के लिए नगर पंचायतें, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषदें और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम का गठन किया जायेगा।

संरचना : नगरपालिका के सभी स्थान प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुये व्यक्तियों से भरे जायेंगे। प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र वार्डों में विभाजित होगा।

वार्ड समितियों का गठन : तीन लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन किया जायेगा।

अवधिः नगरपालिकाओं की अवधि पांच वर्ष की होगी। विघटन तिथि से छः माह में नगरपालिकाओं के चुनाव कराने होंगे।

शक्ति एवं उत्तरदायित्व : राज्य नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेंगे जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में तथा बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 विषयों को कार्यान्वित करने में समर्थ बनाने के लिये आवश्यक हों।

कर अधिरोपित करने की शक्ति : राज्य नगरपालिकाओं को कर, शुल्क, पथकर, एवं फीसें उदगृहित करने के अधिकार प्रदान करेगा। राज्य स्वयं की कर, शुल्क, पथकर, एवं फीस प्राप्तियों में से आवश्यकतानुसार नगरपालिकाओं को राशि समनुदिष्ट करेगा तथा राज्य की संचित निधि से अनुदान दे सकेंगे।

राज्य वित्त आयोग : नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु पांच वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जायेगा।

जिला योजना समिति का गठन : जिला स्तर पर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं के समेकन हेतु जिला योजना समिति का गठन किया जायेगा।

राज्य द्वारा निर्मित अधिनियम

1.21 छत्तीसगढ़ राज्य में 73वें संविधान संशोधन के क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 प्रवृत्त है। यह विधियों के अनुकुलन आदेश 2001 के माध्यम से संपूर्ण राज्य में 01 नवंबर 2000 से लागू है। पंचायती राज अधिनियम समय–समय पर संशोधित किए गए हैं। अद्यतन संशोधन छत्तीसगढ़ पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम 2019 है। जिसके माध्यम से राज्य में पेसा से संबंधित प्रावधान लागू किया गया है। यह 8 अगस्त 2022 से राज्य में लागू है। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं नगर पालिका अधिनियम 1961 राज्य में प्रवृत्त है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के क्रियान्वयन हेतु शहरी स्थानीय निकायों में पूर्व प्रचलित अधिनियम ही राज्य में प्रवृत्त है।

राज्य वित्त आयोग का गठन

1.22 स्थानीय निकाय, जिसमें पंचायती राज संस्थाएँ तथा नगरीय निकाय दोनों सम्मिलित हैं, की आर्थिक समीक्षा कर इन निकायों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिये सुझाव देने हेतु पांच वर्ष में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243(झ) में है।

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन

1.23 छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम 1994 की धारा 3 के अनुसरण में छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्र. 37/14/वित्त/विआप्र/ चार/2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई, 2021

द्वारा श्री सरजियस मिंज, पूर्व अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन तथा पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में, 31 जुलाई 2023 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया (अनुलग्नक 1.1)। छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के आदेश क्र.87/1037/स्था./चार अटल नगर दिनांक 02/02/2022 के द्वारा राज्य वित्त आयोग के सचिव पद पर श्री सतीश पाण्डेय, सेवा निवृत्त राज्य वित्त सेवा अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन की नियुक्ति की गई (अनुलग्नक 1.2)। तद्नुसार, श्री सरजियस मिंज द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2021 को राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर और श्री सतीश पाण्डेय द्वारा 4 फरवरी 2022 को राज्य वित्त आयोग के सचिव पद पर पदभार ग्रहण किया गया।छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के आदेश दिनांक 28/07/2023 द्वारा आयोग के कार्यकाल में 31/10/2023 तक तथा आदेश दिनांक 15/01/24 द्वारा 31/01/2024 तक,आयोग के कार्यकाल में वृद्धि की गई। (अनुलग्नक 1.4 और 1.5)

राज्य वित्त आयोग हेतु संदर्भ शर्तें

1.24 छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 23 मार्च, 2022, अधिसूचना प्रकाशन दिनांक 4 अप्रैल, 2022 द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संदर्भ शर्तें जारी करते हुए (अनुलग्नक 1.3) अपेक्षा की गई कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 झ एवं 243 म द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा एवं निम्नलिखित के संबंध में अनुशंसा देगा :–

1. (क) निम्नलिखित को शासित करने वाले सिद्धांतों के संबंध में–

   1. राज्य द्वारा उद्ग्रहित करों, शुल्कों, पथकरों तथा फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य तथा पंचायतों अथवा नगर पालिकाओं (जैसी भी स्थिति हो) के मध्य वितरण जो संविधान के भाग 9 और 9क के अधीन उनमें विभाजित किए जायें को तथा सभी स्तरों पर पंचायतों और नगर पालिकाओं (जैसी भी स्थिति हो), के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आबंटन को;
   2. ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों तथा फीसों के अवधारणा को, जो पंचायतों और नगर पालिकाओं को समनुदिष्ट की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी; और
   3. राज्य की संचित निधि में से पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिये सहायता अनुदान।

   (ख) पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये आवश्यक अध्युपायों और अनुशंसाएँ करने सहित निम्नलिखित के संबंध में –

   1. पंचायतों एवं नगर पालिकाओं द्वारा संग्रहित कर एवं करेत्तर राजस्व व्यवस्था के युक्तियुक्तकरण और संसाधन सृजित करने की नवीन संभावनाओं को चिन्हांकित करने विशेशतः ऐसे निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर उपयोगकर्ता प्रभार उद्ग्रहित करने, ताकि संचालन एवं संधारण व्यय की पूर्ति हो सके;
   2. स्थानीय शासन के द्वारा वित्तीय संस्थाओं एवं बाजार ऋण लेने की संभावना, एवं इसके लिये उपयुक्त व्यवस्था;

3. स्थानीय शासन की वित्तीय प्रबंधन की क्षमता का विकास;

4. स्थानीय शासन के राजकोषीय निष्पादन के अनुश्रवण को सुधारने;

5. राजस्व वृद्धि के लिये प्रोत्साहन देने; और

6. स्थानीय शासन द्वारा व्यय मे मितव्ययता और दक्षता हासिल करने।

(ग) स्थानीय शासन के स्वामित्व एवं उन्हें स्थानांतरित आस्तियों के संधारण की लागत को राज्य, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के मध्य बांटने की आवश्यकता;

(घ) नगरीय स्थानीय निकायों के विशेष संदर्भ में सार्वजनिक–निजी भागीदारी की संभावनाएँ।

2. आयोग, उसकी अनुशंसाएं करने में, अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित को ध्यान में रखेगाः–

(क) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन पर होने; वाली राजकोषीय मांगें;

(ख) स्थानीय निकायों के संबंध में पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएं; और

(ग) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत स्थानीय निकायों को दी जा रही निधियां।

3. आयोग यह बतायेगा कि किस आधार पर उसने निष्कर्ष निकाले हैं।

4. आयोग उपरोक्त प्रत्येक विषय पर 1 अप्रेल, 2025 से प्रारंभ होने वाली आगामी पांच वर्ष की कालावधि के लिये अपना प्रतिवेदन 31 जुलाई तक या उसके पूर्व उपलब्ध करायेगा।

राज्य वित्त आयोग की कार्यपद्धति

1.25 राज्य वित्त आयोग ने राज्य के विभिन्न आर्थिक तथा विकास से संबंधित मानकों के अध्ययन हेतु एक सुनिश्चित कार्य प्रणाली तथा अध्ययन पद्धति अपनायी है, जिससे अध्ययन के लक्ष्यों, उद्देश्यों और अध्ययन से संबंधित प्रश्नों के वैध और विश्वसनीय परिणाम प्राप्त किए है। राज्य वित्त आयोग की कार्यपद्धति विभिन्न मानकों के अध्ययन हेतु परस्पर अंतर्संबंधित तथा समावेशी रही है।

1.26 शासन द्वारा राज्य वित्त आयोग के लिए जारी संदर्भ शर्तों में उल्लेख है कि ''आयोग यह बतायेगा कि किस आधार पर उसने निष्कर्ष निकाले हैं।''[2] इसलिये इस प्रतिवेदन अथवा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं से प्रभावित होने वाले समस्त हित–धारकों को राज्य वित्त आयोग की कार्यपद्धति से अवगत होना चाहिये।

1.27 संविधान के अनुच्छेद 243झ(3) के अनुसार अनुशंसाएं करने के लिये राज्य वित्त आयोग अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगा। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अपने दायित्वों के निर्वहन के लिये राज्य वित्त आयोग अपनी कार्यपद्धति निर्धारित कर सकता है। प्रत्येक आयोग अपनी संदर्भ शर्तों के अनुरूप अपनी कार्यपद्धति का निर्धारण करता है। तद्नुरूप इस राज्य वित्त आयोग द्वारा भी अपनी कार्यपद्धति का निर्धारण किया गया है।

[2]छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 23 मार्च, 2022, गजट प्रकाशन दिनांक 4 अप्रेल, 2022, बिन्दु क्र. 3

1.28 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा अपने निष्कर्षों पर पंहुचने के लिये सर्वप्रथम अपनी कार्यपद्धति का निर्धारण किया गया। कार्यपद्धति में निम्नांकित प्रक्रियायें/बिंदु सम्मिलित किये गये :–

- राज्य की अर्थव्यवस्था की समग्र आर्थिक समीक्षा
- स्थानीय निकायों की आर्थिक समीक्षा
- स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से चर्चा
- संबंधित शासकीय विभागों के साथ चर्चा
- संबंधित विभागों से ज्ञापन प्राप्त करना
- विशेषज्ञ संस्थाओं से संपर्क एवं सुझाव प्राप्त करना
- राज्य वित्त आयोग से संबंधित विषयों पर अध्ययन आयोजन
- सेमिनार, कॉनक्लेव में भागीदारी
- अन्य राज्य वित्त आयोगों की कार्यपद्धति का अध्ययन
- सामान्य जनता से संवाद
- वैश्विक विकास के मानकों के संदर्भ में स्थानीय निकायों की भूमिका

राज्य की आर्थिक स्थिति की समीक्षा

1.29 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग ने राज्य की आर्थिक स्थिति का अद्यतन एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अंतर्गत विस्तृत विश्लेषण किया है। राज्य निर्माण के समय राज्य की आर्थिक स्थिति से आरंभ करते हुए सभी वर्षो के बजट पत्र, केन्द्रीय तथा राज्य वित्त आयोगों के आर्थिक विश्लेषण तथा अनुशंसाओं के संदर्भ में राज्य की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों, विकास की आवश्यकता तथा संभावनाओं के आर्थिक परिदृश्य को मूल्याँकित किया है।

स्थानीय निकायों की आर्थिक समीक्षा

1.30 स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही भौतिक सुविधाओं तथा स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति संबंधी जानकारी विस्तृत प्रश्नावली में सॉफ्टवेयर एवं मोबाईल एप के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त की गई तथा सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण किया गया। इस हेतु सॉफ्टवेयर में इन बिल्ट व्यवस्था की गई थी। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का यह एक अभिनव प्रयास था। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर स्थानीय निकायों की भौतिक सुविधाओं एवं आर्थिक स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई।

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से चर्चा

1.31 स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों से चर्चा कर सुझाव प्राप्त करने हेतु चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रथमतः संभागीय मुख्यालयों में, उसके पश्चात चयनित जिलों तथा जनपद पंचायत स्तर पर बैठकों का आयोजन किया गया। बैठकों का विस्तृत विवरण अनुलग्नक–1.6 में देखा जा सकता है। बैठकों में पंचायती राज संस्थाओं से जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों,

जिला पंचायतों तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत सरपंचों एवं ग्राम पंचायत सचिवों से चर्चा कर सुझाव प्राप्त किये गये। इसी प्रकार नगरीय निकायों में महापौरों, नगर पालिका एवं नगर पंचायत अध्यक्षों, पार्षदों, नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिका अधिकारियों से सुझाव प्राप्त किये गये।

शासकीय विभागों के साथ चर्चा

1.32 स्थानीय निकायों से संबंधित प्रशासकीय विभाग तथा ऐसे विभाग जिनके द्वारा स्थानीय निकायों को समनुदेशिक राजस्व उपलब्ध कराने का दायित्व है, के साथ आयोग द्वारा गहन चर्चा कर वस्तुस्थिति को समझने के प्रयास किये गये।

शासकीय विभागों से ज्ञापन प्राप्त करना

1.33 आयोग से संबंधित प्रमुख विभागों से, राज्य वित्त आयोग द्वारा, आवश्यक जानकारी, उनके सुझाव तथा विभाग की राज्य वित्त आयोग से अपेक्षा अथवा कोई विशेष मांग है तो उसे जानने के लिये ज्ञापन (Memorandum) प्राप्त किये गये। कुल सात विभागों – वित्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन एवं विकास, आबकारी, पंजीयन, राजस्व तथा खनिज एवं खनिकर्म विभाग को निर्धारित प्रारूप में ज्ञापन प्रदान करने के लिये लेख किया गया। लेख किये गये सभी विभागों द्वारा राज्य वित्त आयोग को ज्ञापन उपलब्ध कराये गये।

विशेषज्ञ संस्थाओं से संपर्क एवं सुझाव प्राप्त करना

1.34 अपनी कार्यपद्धति निर्धारित करने, कार्यपद्धति में सम्मिलित प्रक्रियाओं के संपादन तथा अन्य विषयों पर सुझाव प्राप्त करने के लिये चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञ संस्थाओं यूनिसेफ, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद से संपर्क किया गया। इन संस्थाओं से विशेष रूप से राज्य वित्त आयोग की कार्यपद्धति, गोष्ठी एवं परामर्श का आयोजन तथा प्रतिवेदन लेखन में ध्यान दिये जाने वाले बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया।

- **यूनिसेफ (UNICEF)**

  राज्य वित्त आयोगों द्वारा राशि अंतरण संबंधी सूत्रों में बच्चों से संबंधित संकेतकों को शामिल करने की आवश्यकता एवं महत्व पर विचार विमर्श किया गया।

- **राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (NIPFP)**

  संस्थान से प्रतिवेदन लेखन, अध्ययन आयोजन, गोष्ठी एवं परामर्श आयोजन, आयोग की कार्यपद्धति, अन्य राज्यों का अध्ययन भ्रमण तथा अन्य विषयों पर सुझाव मांगे गये।

- **राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRDPR)**

  राज्य वित्त आयोग की कार्यपद्धति, प्रतिवेदन लेखन तथा राज्य वित्त आयोग के लिये ध्यान देने वाली प्रमुख बातों पर संस्थान से चर्चा की गई।

राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रायोजित अध्ययन

1.35 स्थानीय निकायों की आर्थिक समीक्षा के लिये चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा आयोग के कार्यक्षेत्र से संबंधित विषयों पर अध्ययनों का प्रायोजन किया किया गया। स्थानीय शोध क्षमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थानीय शैक्षणिक संस्थाओं में पदस्थ प्राध्यापकों/शोधकर्ताओं से अध्ययन करवाये जाने हेतु उनसे समझौते (MoU) किये गये। राज्य वित्त आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों पर दो एवं नगरीय निकायों पर एक अध्ययन का प्रायोजन किया गया।

1 **''राजनांदगांव एवं बस्तर जिले के ग्राम पंचायत की सेवा स्तर पर बेंचमार्किंग'',**

कु. रागिनी, व्याख्याता, वाणिज्य शास. दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव छ.ग.

2 **"A Study on Increasing Own Source of Revenue of Gram Panchayat of Chhattisgarh: Using Contingent Valuation Method"**

डॉ. विनोद कुमार जोशी, प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, डॉ. राधा बाई नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर छ.ग.

3 **"A Study on the Finances of the Municipal Corporations and Peoples Satisfaction of Chhattisgarh"**

डॉ. रविन्द्र ब्रम्हे, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़

सेमिनार, कॉनक्लेव में भागीदारी

1.36 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा अपने कार्यकाल में राष्ट्रीय स्तर की विशिष्ट संस्थाओं द्वारा आयोजित सेमिनार एवं सम्मेलनों में भाग लिया गया। सेमिनार एवं कॉनक्लेव में भाग लेने से आयोग को अपने दायित्वों को बेहतर तरीके से करने में सहायता मिली। राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान दिल्ली के आमंत्रण पर संस्थान द्वारा ''राज्य वित्त आयोगों द्वारा हस्तांतरण फ़ार्मूला में बाल–संबंधित संकेतकों को शामिल करने की आवश्यकता और महत्व'' विषय पर 24 अप्रैल, 2022 को आयोजित सेमिनार में अध्यक्ष, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा भाग लेकर अपने विचार व्यक्त किये गये। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एवं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद द्वारा 29–30 नवंबर, 2022 को ''राज्य वित्त आयोगों पर राष्ट्रीय सम्मेलन'' विषय पर आयोजित सम्मेलन में, संस्थान के आमंत्रण पर, अध्यक्ष, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के नेतृत्व में आयोग के अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

अन्य राज्यों एवं राज्य वित्त आयोगों की कार्यपद्धति का अध्ययन

1.37 प्रत्येक राज्य की राज्य वित्त आयोग के गठन, उसके प्रबन्धन तथा आयोग की अनुशंसाओं पर क्रियान्वयन की अपनी अलग–अलग व्यवस्थायें होती हैं। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं तक पंहुचने की अपनी अलग कार्यपद्धति हो सकती है। इसलिये अन्य राज्यों के राज्य वित्त आयागों की कार्यपद्धति तथा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राज्यों द्वारा अपनायी जाने वाली क्रियान्वयन की पद्धति का अध्ययन किसी भी

राज्य वित्त आयोग के लिये अपने विचारों को स्वरूप प्रदान करने के लिये लाभप्रद हो सकता है, यही कारण है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा कुछ राज्यों के अध्ययन भ्रमण का निर्णय लिया गया।

मध्यप्रदेश

1.38 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा सर्वप्रथम मध्य प्रदेश का अध्ययन भ्रमण किया गया। अध्ययन भ्रमण के अंतर्गत आयोग को सर्वप्रथम राज्य वित्त आयोग के नोडल विभाग, वित्त विभाग के अधिकारियों से राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर कार्यवाही की प्रक्रिया तथा पांचवे राज्य वित्त आयोग के पूर्व पदाधिकारियों से आयोग की कार्यपद्धति पर जानकारी प्राप्त हुई। द्वितीय चरण में आयोग द्वारा नगर पालिक निगम इन्दौर का भ्रमण कर अधिकारियों से सफाई की श्रेणी में देश में पिछले छः वर्षों से प्रथम स्थान प्राप्त करने के सफर पर विस्तार से चर्चा की गई।

1.39 इन्दौर नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा आयोग को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा निगम की आय एवं व्यय के बारे में विस्तार से बताया गया। इन्दौर नगर निगम द्वारा देश में सफाई के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने तथा छः वर्षों से प्रथम स्थान पर बने रहने की कहानी अन्य नगरीय निकायों के लिये अनुकरणीय एवं प्रेरणादायी है। इस सफलता की कहानी को संक्षेप में ''स्थानीय निकायों की सर्वोत्तम प्रणालियाँ'' अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

ओड़िशा

1.40 आयोग द्वारा द्वितीय अध्ययन भ्रमण ओड़िशा राज्य का किया गया। प्रथमतः, ओड़िशा में ओड़िशा राज्य शासन के वित्त, पंचायत एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा नगरीय प्रशासन विभाग अधिकारियों के साथ ओड़िशा राज्य के पांचवे वित्त आयोग के लिए प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया एवं कार्यपद्धति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई।

1.41 ओड़िशा में पुरी के नगर पालिक परिषद के अधिकारियों के साथ पुरी में आने वाले दर्शनार्थी एवं पर्यटकों के लिए परिषद द्वारा की जाने वाली मूलभूत व्यवस्था एवं आर्थिक संसाधन की उपलब्धता पर संवाद किया गया।

महाराष्ट्र

1.42 महाराष्ट्र में आयोग के अधिकारियों द्वारा गोंदिया नगर पालिका परिषद के कार्यपद्धति और परिषद के आय–व्यय की समीक्षात्मक जानकारी प्राप्त की गई।

सामान्य जनता से संवाद

1.43 राज्य वित्त आयोग को अपनी अनुशंसाओं तक पंहुचने के लिये आयोग को समस्त हित धारकों से प्राप्त होने वाले सुझावों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। राज्य वित्त आयोग विभिन्न माध्यमों से संपर्क बनाकर समस्त हितधारकों से सुझाव प्राप्त करता है। सामान्य जनता से संपर्क बनाने के लिये आयोग द्वारा सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप तथा फोन इत्यादि का उपयोग किया गया। इन माध्यमों से आयोग द्वारा अपनी गतिविधियों को प्रचारित कर लोगों को आयोग की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया एवं उनसे स्थानीय निकायों के संबंध में सुझाव मांगे गये।

वैश्विक विकास के मानकों के संदर्भ में स्थानीय निकायों की भूमिका

1.44 सतत धारणीय विकास लक्ष्य – 2030 वैश्विक समुदाय का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसकी प्राप्ति वैश्विक समुदाय का अभीष्ट है। भारत सहित 193 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70 वीं बैठक में इसे स्वीकार किया गया और जनवरी 2016 में भारत सरकार द्वारा इसे अंगीकृत किया गया है।

1.45 प्रमुख धारणीय विकास लक्ष्यों में गरीबी की उसके सभी रूपों में समाप्ति, भुखमरी की समाप्ति के साथ–साथ बेहतर पोषण एवं खाद्य सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता और स्वच्छ जल की उपलब्धता आदि प्रमुख हैं। ध्यातव्य है कि वैश्विक चिंता का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि धारणीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं एवं विभिन्न देशों की सरकारों के साथ–साथ स्थानीय सरकारों एवं स्थानीय हितधारकों की क्या भूमिका हो? विभिन्न वैश्विक सम्मेलनों एवं कार्यक्रमों में यह चर्चा का प्रमुख बिंदु रहा है। अतः उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति में स्थानीय निकायों की भूमिका एवं उनकी सहभागिता के स्तर का आकलन आवश्यक है।

1.46 सतत विकास लक्ष्य – 2030 के अधिकांश लक्ष्यों पर दृष्टि डालें तो इनमें से अधिकांश लक्ष्य – गरीबी एवं भूखमरी की समाप्ति, स्वच्छता, साफ–सफाई एवं स्वच्छ जल की उपलब्धता, खाद्य–सुरक्षा, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के साथ–साथ जन–स्वास्थ्य, पोषण एवम खाद्य सुरक्षा जैसे विषय हैं जो स्थानीय निकायों के दायित्वों एवं कर्तव्यों से सीधे सम्बन्धित हैं। इसलिए यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की संभावनाओं की सफलता स्थानीय निकायों की दक्षता, कुशलता एवं वित्तीय स्वायत्तता पर निर्भर करती है। उपरोक्त सन्दर्भ में राज्य वित्त आयोग का दायित्व इस अर्थ में बढ़ जाता है कि स्थानीय निकायों की कार्यक्षमता एवं उनकी वित्तीय एवं प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि हेतु सुझावों का स्वरूप एवं उनकी प्रकृति क्या हो, जो सतत विकास लक्ष्य–2030 की प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय एवं स्थानीय नीति–निर्माण के साथ–साथ वैश्विक दृष्टि के भी अनुकूल हो।

राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन का स्वरूप

1.47 तेरहवें केन्द्रीय वित्त आयोग के द्वारा राज्य वित्त आयोगों के रिपोर्टों का प्रारूप / नमूना तैयार कर उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार करने का सुझाव दिया गया है। सुझाया गया प्रारूप / नमूना बहुत विस्तृत एवं पर्याप्त है जिसके आधार पर राज्य वित्त आयोग की स्तरीय रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। अतएव, तेरहवें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा सुझाये गये रिपोर्ट के प्रारूप / नमूने के आधार पर ही चतुर्थ राज्य वित्त आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा अपनी रिपोर्ट तैयार की गई है, जो कुल तेरह अध्यायों में विभक्त है।